



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2.4.1

Number of full time teachers against sanctioned posts during the year.

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Summary-Sheet

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation	
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality	
Metric	2.4.1: Full time teachers against sanctioned posts during the year	
Full time teachers and sanctioned posts	Year	2022-23
	No. of full time teachers	78
	No. of sanctioned posts	91


Note:

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

Description	Relevant link
1) Breakup of sanctioned post and filled post for AY 2022-23 attested by principal is attached. (Appendix-I)	https://dpvipracollege.in/aqar-2022-23
2) List of faculty members authenticated by head of institute is attached for AY 2022-23. (Appendix-II)	
3) Appointment letter of faculty members is attached as per above list. (Appendix-III)	


IQAC Co-ordinator
D.P. Vipra College
BILASPUR (C.G.)

IQAC Coordinator


PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
Principal



D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

2.4.1 Number of full time teachers against sanctioned posts

2.4.3 Number of years of teaching experience of full time teachers in the same institution

2022-23

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	39	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	38	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	32	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	25	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	25	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	19	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	19	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	19	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	19	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	19	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	19	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES

MRS. SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	19	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	19	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	19	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AUJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	19	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	19	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	19	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	19	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	19	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2016	PERMANENT	HINDI	6	YES
MR. VISHWAS VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	5	YES
Dr. RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	5	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	6	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	6	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	BOTANY	12	YES
MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	4	YES
MISS ANUPAMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MR. BRIJESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MR. BHAGVAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	5	YES
MISS.PRACHI TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	4	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
MR. GENDLAL BANJARE	CCPPB0172H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	4	YES
MISS. SAPNA MISHRA	DDZPM0780G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	3	YES
MISS. VARSHA RANI DUBEY	BPUPD9611N	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ENGLISH	3	YES
MISS. ANJALI SONA	GNUPS4527K	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES

MR. ISHWAR SURYAWANSHI	DOMPS5036D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MISS. VARSHA SINGH	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
PROF. ABHILASHA SINGH	AXSPT6963C	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MR. DEEPAK KU. KASHYAP	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	2	YES
MR. AJIT KASTURIYA	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	BOTANY	2	YES
MR. SARVESH DEEP	GKGPD3070M	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MISS. SHIKHA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MR. DIVYANSHU SWARNAKAR	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MR. PRAKASH CHATURVEDI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MISS. KANCHI BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
MR. JAISON SAMKUTTY	DYCPS4391R	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MRS. JYOTI TIWARI	BEBPD1050D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
MRS. ABHA BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	ECONOMICS	3	YES
MR. DIPANK GANDHEY	CNQPG3387P	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	DDSPM8989J	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MR. TIKAM SINGH RAJPUT	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES
MR. DEV KUMAR	IIXPK6891Q	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	1	YES
MISS. NIDHI DANIKAR	GIGPD5560N	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES
MISS. ROSHNI SONI	GAXPS4476K	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	BVTPC2233A	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MISS. SUNANDA SONI	QFBPS0769L	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	AYKPT6025E	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	BIO CHEMISTRY	1	YES
MR. ABHILASH AWASTHI	AYYPA0582D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MANAGEMENT STUDIES	1	YES
MISS. PRASHANSA YADAV	FFJPP3251P	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MISS. AYUSHI PANDEY	FTUPP4497J	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. BADRI PRASAD SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES

MISS. DEEKSHA DEWANGAN	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MR. HARISH RATHORE	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES

PRINCIPAL
D. P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR (C.G.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix I

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Letter No./4(28/Estb/Post/2022-23

Bilaspur, Date 24.08.2022

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the session 2022-23

S.No.	Post of Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Microbiology	4
11	Asst. Prof. Botany	4
12	Asst. Prof. Zoology	4
13	Asst. Prof. Maths	4
14	Asst. Prof. Physics	5
15	Asst. Prof. Chemistry	7
16	Asst. Prof. Electronics	2
17	Asst. Prof. Computer Science	10
18	Asst. Prof. Public Administration	2
19	Asst. Prof. Biochemistry	2
20	Asst. Prof. Biotechnology	2
21	Asst. Prof. Management	3
Grand Total		91

* Excluding the post of Principal, 91 posts of Assistant Professor approved.



Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

प्रधान
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Chairman
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix II

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur
Chattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

UGC GRANTED ASST.PROFESSOR LIST

SESSION - 2022-2023

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. ANJU SHUKLA	PRINCIPAL	SOCIOLOGY
2	DR. VIMAL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
3	DR. SADHANA SHOME	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
4	DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
5	DR. K.K. SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CODE-28 ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2022-2023

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. R.N. YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
2	DR. M.L. JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
3	DR. VIVEK AMBALKAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
4	DR. TARU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	DR. SUSHMA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
6	DR. KHAGENDRA SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
7	DR. SUNITA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
8	MR. A. SRI RAM	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
9	MR. JAYANTA ROY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
10	DR. MANISH TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
11	DR. RENU NAYAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
12	DR. OORJA RANJAN SINHA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
13	DR. ASHISH SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
14	DR. M.S. TAMBOLI	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
15	MRS. SNEHLATA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
16	DR. SHUBHRAJA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
17	MRS. SHRITI SOMVANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
18	MR. DEEPAK TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
19	MR. NIDHISH CHOUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS
20	DR. RASHMI SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
21	DR. ABHA TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
22	DR. AASHUTOSH PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
23	MRS. RAJANI KUJUR	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
24	DR. SIKHA PHARE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
25	DR. SMRITIRANI PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
26	MRS. TOSHIMA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
27	MR. VISHWAS VICTOR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
28	DR. RICHA HANDA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
29	DR. SURUCHI MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI

Principal
D.P. Vipra College
BILASPUR (C.G.)
D. P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2022-2023

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	MRS. KIRAN DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
2	MR. PRADEEP JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
3	MR. YUPESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
4	MR. BRIJESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
5	MR. ISHWAR SURYAWANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
6	MRS. ANUPAMA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
7	MISS. VARSHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
8	MISS. ANJALI SONA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
9	MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
10	PROF. ABHILASHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
11	MR. RUPENDRA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
12	MR. DEEPAK KU. KASHYAP	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
13	MR. MOTILAL PATLE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
14	MISS. PRACHI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
15	MR. AJIT KASTURIYA	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
16	MR. GENDLAL BANJARE	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
17	MR. SARVESH DEEP	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
18	MISS. SHIKHA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
19	MR. DIVYANSHU SWARNAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
20	MR. PRAKASH CHATURVEDI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
21	MISS. KANCHI BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
22	MR. JAISON SAMKUTTY	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
23	MRS. JYOTI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
24	MR. BHAGWAT KAUSHIK	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
25	MISS. SAPNA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
26	MISS. VARSHA RANI DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
27	MRS. ABHA BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
28	MR. DIPANK GANDHEY	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
29	MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
30	MR. TIKAM SINGH RAJPUT	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
31	MR. DEV KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
32	MISS. NIDHI DANIKAR	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
33	MISS. ROSHNI SONI	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
34	MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
35	MISS. SUNANDA SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
36	MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	ASSISTANT PROFESSOR	BIO CHEMISTRY
37	MR. ABHILASH AWASTHI	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES

38	MISS. PRASHANSA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
39	MISS. AYUSHI PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
40	MR. BADRI PRASAD SAHU	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
41	MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
42	MISS. DEEKSHA DEWANGAN	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
43	MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
44	MR. HARISH RATHORE	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

Handwritten signature in blue ink

Principal

D.P. Vipra College

PRINCIPAL

**D. P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR (C.G.)**



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix III

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2022-23

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001

आदेश

प्रमाण- /स्था/90

बिलासपुर, दिनांक -14-11-90

इस महाविद्यालय को पयन संगीत द्वारा पयन विषये गर पदाभिस्तानी
शु. अशु तिलवारी, जिनको निरुद्धित प्रणामन संगीत को बेटक दिनकि- 12-11-90
में अनुमोदित की गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एच. के. वर्मा के निरुद्धित से
परकत हुये निरुद्धित पद पर समाजकार्थ विषय के अन्तर्गत सहा. प्राध्यापक के
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्यागा में 13-11-90
यु. जी. सी. वेतन मान 2200-75-2800-100-4000 के अन्तगत प्रारंभिक वेतन तथा
निरुद्धित द्वारा विषये जा रहे मंथार्थ भस्ता के साथ एक वर्ष के लिये पौ रपोक्षा पर
निरुद्धित किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. निरुद्धित दिवसों को पक्ष द्वारा निरुद्धित विषये गये व्याक्त या निरुद्धित अध्यापको
द्वारा विना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त को जा
सकतो है।
2. यह निरुद्धित तभी मान्य होगी, जब शु. अशु तिलवारी पाच स्वये के अन्यायक
सुदृढ पर निरुद्धित प्रमय पर अनुबंध बस्ताधर करके प्रमाणित करेगी, जो
संगीत के सीहता को शर्तों को बोलत करता हो।
3. न शु. अशु तिलवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होगी, जो महाविद्यालय के वर्मधारियों को अग्रज सेवा की शर्तों, घाल चलन
एवं अनुमोदन से के संबंध में प्रभाव जालता हो।

॥ अध्यक्ष के आदेशानुसार ॥

शु. प्रचार्य,
श्री. प्रो. श्री. महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90


पृष्ठान्त प्रमाण 665 /स्था/90

प्रतीतिप:-

1. श्रीमान् सचिव म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि निरुद्धित का अनुमोदन निरुद्धित का बस्ट करे।
2. कुशायक- सुभ. घालोदाश विषयविद्यालय बिलासपुर को सुपनार्थ।
3. शु. अशु तिलवारी- श्री. हलाधर प्रसाद तिलवारी ग्राम पास्ट बमोरा तखलील
जालिगौर जिला बिलासपुर को सुपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीष्ट।
सुपना अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करे।


शु. प्रचार्य,
श्री. प्रो. श्री. महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AEPPS2610M

 नाम / NAME
ANJU SHUKLA

पिता का नाम / FATHER'S NAME
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
30-06-1981

हस्ताक्षर / SIGNATURE


आयकर आयुक्त, जबलपुर
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(7522 + 2021)

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

... Q R D E E

No. 76^y/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K.B. Singh, a candidate for appointment,
is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in
this college until further orders in the scale of pay
of Rs. 620-1500 with usual AD, A. and other allowances, with
effect from the 15th November 1980, subject to the following
conditions: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha Amdan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
 - (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.
- and,
- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

of
s/ R.V. Shukla

Principal & Secretary,
Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 76^{2-A}/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara,
district Bilaspur, for information and necessary action.

of
R.V. Shukla
Principal & Secretary,
Principal & Secretary,
GOVERNING BODY,
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

Handwritten note:
K.B. Singh
11.11.80



T-19

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVERNING BODY,
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

ORDER

No. N/Estt/83, dated Bilaspur, the 18th August 1983
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography in an officiating capacity,
in this college until further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1600 with usual domestic allowances, with effect
from the 18th August 1983 subject to the following conditions:

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the M.P. Uchha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Ghansar University, Jabalpur
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable
to the employees of the State D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self

(R. N. Shukla.)

Principal & Secretary,

D.P. Vipra College,

Bilaspur.

Principal & Secretary,

18th August 1983

No. 233/Estt/83., dated Bilaspur, the 21st August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C. S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R. N. Shukla

(R. N. Shukla.)
Principal & Secretary.

A

PERMANENT ACCOUNT NUMBER

PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP0200C

नाम NAME

VINAL KUMAR PATEL



पिता का नाम FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर / SIGNATURE

V Patel

जय जय जय

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JODHPUR

कार्यालय, प्राचार्य, टारिका प्रसाद विद्या महाविद्यालय, बिलासपुर, ४०५००
 आदेश क्रमांक 381/स्था/84 • बिलासपुर, दिनांक 22/11/2021

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर वेतनमान 700-40-1100-3-1300 असेसमेंट-50-1600 पर रुपये पर देय मंडगार्ड भत्ता एवं अन्य भत्ता सहित, पदभार ^{उपरोक्त} करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यर्थी का नाम पद नाम विषय

1. **कु. साधना बीस** व्याख्याता समाजशास्त्र
2. **श्रीमती मधु दोरार्जराज** ---"--- अर्थशास्त्र
3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

1. ४०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वामीदास विद्याविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होंगी।
2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होंगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उपर्युक्त अभ्यर्थी शासित रहेंगे।

सही
 प्राचार्य एवं सचिव,
 प्रशासन समिति,
 ४०५०० विद्या महाविद्यालय बिलासपुर

पु. क्रमांक 381-D/स्था/84 •
 प्रतिलिपि :-

दिनांक -----

1. श्रीमान सचिव, ४०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।
2. श्रीमान मुख्यालय, गुस्वामीदास विद्याविद्यालय, बिलासपुर।
3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाएं।
4. कुमारी साधना बीस, द्वारा श्री बी.के.बीस, बघाट नं. 536/4, आर.टी.एस. कालोनी, बिलासपुर।
5. श्रीमती मधु दोरार्जराज, द्वारा श्री एस.बी. दोरार्जराज, पिंडो चौक इंजीनियरिंग कॉलेज नं. 1048, रेल्वे कालोनी, बिलासपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
 प्राचार्य एवं सचिव,
 प्रशासन समिति,
 बिलासपुर

5

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME
BIMAL KUMAR BOSE

DT/07/1962
Permanent Account Number
AVRPS0169E

S. S. S.
Signature



In case this card is lost / found, kindly inform / return to -
Income Tax PAN Services Unit, UTHSL,
Sector 11, GND B-Complex,
New Gurgaon - 400 614.

यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/वापस करें
आयकर विभाग, एनएसएल,
सेक्टर 11, GND B-कॉम्प्लेक्स,
नवी गुरुगंज - 400 614

कायालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु.श.

आदेश क्रमांक - 10 - स्था. 97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री सजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अग्रिजी हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के पद ~~प्रिन्सिपल~~ पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

११॥ उनकी जन्म तिथि ~~10.10.1965~~ ^{10.10.1965} है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पृथक् महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पु.श.स. उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

१२॥ उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

१३॥ श्री सजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेम्नीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रकृति

अभिलेख वेदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

21/4/97

प.क. 21/4/97 स्था. 97

प्राचार्य एवं सचिव
प्राचार्य महाविद्यालय

द्वारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय

बिलासपुर म.पु.श.

21/4/97
बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

११॥

श्री सजय कुमार तिवारी, बी-1/245 मेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 अ० 13

// 2 //

21.4.97

॥2॥


कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥3॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री सज्ज्य कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पत्रों जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥4॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय की सूचनार्थ।



प्राचार्य एवं सचिव

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति,


प्रशासन समिति

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय,

द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय

बिलासपुर।म.प.।

बिलासपुर द्वि. व. व. १



//नामदेव//

21.4.97

--:: 0 ::--

जोधपुर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SAIJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI
10/01/1965
Permanent Account Number
ADCP17057P



[Handwritten Signature]
Signature

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA


RUP NARAYAN YADAV

RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K


Signature



11042006

46

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **वनस्पतिशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 30 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Q8 - 2



भारतीय प्रजासत्ताक
भारत

पता:

भात्मज: सी पी जायसवाल,
निराला नगर, पुराना बस
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, विलासपुर,
विलासपुर (म.नि.),
विलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C P Jaishwal, Rajk Koger,
purana bus stand ke pass,
rajyog kendra ki gali, Bilaspur,
Bilaspur (M. Ni.), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEY AADHAAR MEY BHAGYAN

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **विवेक अंबलकर** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **भौतिकशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

(37) (28)



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **तरू तिवारी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME-TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and text: *श्री - नमो श्री गुरुभ्यो*

Notary Stamp: **SURENDRA SHARMA**
NOTARY
Bilaspur Distt. - Bilaspur
19 MAY 2011

Handwritten text: *बजायक विभासपुर व बजायक*
557

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


पृष्ठांकन क्र. 406-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



58690002
0006/02/2019

(12)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **खगेन्द्र कुमार सोनी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2312/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, -----
----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

दिनांक | 16/06/2003

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1966


Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



29102011



13

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति का
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति का
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / गाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं
आयकर सेवा इकाई, एनएसडीएल
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबरस,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना - 411045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to

Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411045

Tel: 91 20 2721 8081
e-mail: pan@nsdl.com

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



140B2611

Sunita Yadav
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में नाणिय्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगार्द भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वचिनीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वचिनीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राचार्य एवं सचिव
चयन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुशंकर क्र. 233/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रशासन

- (1) कुल सचिव, पुस्तकालय महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- की मूखनाथ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकटिया को मूखनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रशासन, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति


डी.पी.विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या का
Permanent Account Number Card
DEBPS9294C



नाम
AYYAGARI SRI RAM

पिता का नाम
AYYAGARI JAGAN MOHAN RAO

28082018

व्यक्ति का प्रकार
Date of Birth
01/03/1974

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **जयन्त राय** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. ~~200~~ /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E


Signature



15022013

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रधान सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 176- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 186-/-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

सुपरीय पामिनी
INCOME TAX DEPARTMENT
RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA
17/11/1970
Resident Account Holders
AMDPNS 135C
Signature

सुपरीय पामिनी
GOVT. OF INDIA
AMDPNS 135C
25122810



Renu Nayar

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 240/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार

Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha

जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971

महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811



1947
1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

(19)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशीष शर्मा** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2166/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number
DKSPS1864P


Signature



17052011

For College


7/2/19

20

कार्यालय प्राचार्य
ब्रारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस. तम्बोली को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14


मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुरुष / Male




4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

INCOME TAX DEPARTMENT
MADHUSUDAN TAMBOLI
ANEP T 2677 D

ANEP T 2677 D

संविधान
Constitution of India

संविधान के प्राथमिक अधिकार के प्राथमिक विवरण
The First Part of the Constitution, Chapter I, Articles 12 to 35

Address: S/O. B.S. Tamboli, Near Shiv
Harimann Mandir, Tilak Nagar, Bilaspur(m.
Corp), Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

4112 5267 1018

1947  help@uidai.gov.in  www.uidai.gov.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-15



176

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभजा पाण्डेय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

etc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रमाण क्र. 150-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Chief
09/02/2024

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

रही/-
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

रही/-
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डा.प
Shit
31/9/03

Handwritten signature

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973

Permanent Account Number

EUEPSS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/97619/0058-1

TO
श्रीति सोमवंशी
Shriti Somvanshi
W/O: Ravi Singh
14 Dr. sangai gail veen kurl
vinoba nagar
Bilaspur
Bilaspur
19/07/2014
Bilaspur Bilaspur
Chhatisgarh 495001
9827110995
154708580
ML547085807F1



कार्यालय प्राचार्य

प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक ---16/6/03---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपक निगामी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में 2011/11-2011/11 विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक ---16/6/03---

पृष्ठांकन क्र. 208/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, 2011/11-2011/11 को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Prof. Deepak Tiwari
Dept. of Chemistry
D.G. Veda College

25

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 17/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **निधीष चौबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 421 ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518- /स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~श्रीमती~~ इतिहास ~~श्रीमती~~ श्रीमती को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 525 ~~518~~ /स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Signature)
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

(Handwritten initials)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड को खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाने

आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल

तीसरी मंजिल, सफ़ायर चेंबर

शान्ति टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक

बानेर, पुणे - 411045

If this card is lost / Someone's lost card is found,
please inform / return to

Income Tax PAN Services Unit, NSDL

3rd Floor, Sapphire Chambers

Near Baner Telephone Exchange

Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2772308/309 / 91-20-27218081

e-mail: taxpan@nsdl.com

रश्मि शर्मा

28-20

संयुक्त विभागा
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

याचा सेवा खाते आहे
Permanent/Account Number Card
DKEPS6821J

STAVANTRA
RASHMI SHARMA
पति: STAVANTRA/ Father's Name
GADJANAN SHARMA

ग्राहक सेवा
Date of Birth
21/08/1986



(27)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. आभा दुबे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 70/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनाार्थ।
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/w
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


20




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature




10052011

96

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **आशुतोष पाण्डेय** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तिर्था स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
 प्राचार्य एवं सचिव
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Permanent Account Number
AXKMP3462E

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072608

Signature

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 43- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Rajni

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

- प्रशासन क्र. 46 -/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Received
10/08/13

20/08/13
जन सूचना अधिकारी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

↓
24



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी~~ ~~डी.के.के.~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं प्रशासन P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक --- 23-6-2003

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :



- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति Principal
P.G. College
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)



91
4
25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 70 447 01- 20/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

447

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd.
22:09:03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA

15/08/1974
Permanent Account Number
BLKPM2849H

Signature 




08042011





कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07762-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / 01 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. H7 / Acad. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।


01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VISHWAS VICTOR
VIJAY VICTOR
01/07/1982
Permanent Account No.
AQSPV2824R



Signature



श्री
06/02/19

42

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नेक द्वारा "A" ग्रेड प्रवक्त

फोन नं. 07762-424407 . Email- dpxvipracollege@gmail.com.

क. / 03 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री ऋचा हाण्डा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

5

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

5

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रशासन प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Recd -
08/02/19

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र./ ५४० / स्था./ 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जोकि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कॉलेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति महाविद्यालय
डी.पी.विप्र महाविद्यालय (छ.ग.)
बिलासपुर (छ.ग.)


बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

पृ.क्र./ ५४१ / स्था./ 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं सेकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभारी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



2000 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
NO. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
SUN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

अरुण सिंह
नोदरी,
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.- श्रीमति किरण दुबे उम्र 45 वर्ष,
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर
(छ.ग.) पिन-495001
आधार नं.-951056877942

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma
2. Shamur (मह-4 अंतर्गत नाम)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
प्राचार्य
.....डी.पी.विभ्र.महाविद्यालय.....
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर संव्यपूर्वक कथन आज कक्ष
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह
नोटरी
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यः

(Contract for Teaching)



17 AUG 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 32
पिता : श्री मोहितराम जायसवाल
निवासी- 102, जेस अपार्टमेंट, जरहाभाठा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 245191173107



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

ARUN KUMAR SINGH
CENTRAL NOTARY
BILASPUR (C.G.)
22228
22025
DIA

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 तोरण अशादे यादव / डी. एन. यादव
2 Manish Sahy

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)


2228
2228
2228
2228
2228

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arjun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु

(Contract for Teaching)



1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री यूपेश कुमार उम्र 29
पिता : श्री राम कुमार
निवासी- मकान नंबर 5, वार्ड नंबर 1, भरेवापारा
जिला- कवर्धा (छ.ग.)
पिन - 491559
आधार नंबर : 895795017218



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-
 1
 2 Manish Sahy

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
 BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
 SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
 पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन किया/किया
 और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/पठूँ/पठूँ

Arun Kumar Singh
 Central Notary
 Bilaspur (C.G.)

Arun Kumar Singh
 Central Notary
 Bilaspur (C.G.)

1 Rupee Two/Five affixed
Stamp of Rupee 10/-
/ Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन

(Contract for Teaching)



1.8 JUN 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - श्री बृजेश कुमार उम्र 29
पिता : श्री जोहन प्रसाद
निवासी- वार्ड नं.4, लीलामंडली चौक भिलौनी
जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन - 495554
आधार नंबर : 649015047066

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.06.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. गौरव चेलुप
2. Manish Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

18 JUN 2022

SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
बेरे सज्ज हए वस्तावेज पर संवचित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आज पत्र
और इस वस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।


Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन व

(Contract for Teaching)



1 AUG 2022



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 32
पिता : श्री जीतराम सूर्यवंशी
निवासी- वार्ड नं. 18 शारदा मंगलम्, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन - 495668
आधार नंबर : 426897205738

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

10/08/22
24/08/22
Bilaspur
C.G.
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)
N

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. श्री 107 प्लॉट 6 युवा

2. श्री Manish Sahu.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर




द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दो समक्ष द्वा. दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर, पढ़कर आपसपुर्बक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

Rubber Two/Five affixed
at St. of Rupees 10/-
Not affixed

Ran Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



1 AUG 2022

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला — बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. प्राची तिवारी उम्र 30
पिता : श्री युगलकिशोर तिवारी
निवासी— कुम्हारपारा जरहाभाठा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.)
पिन — 495001
आधार नंबर : 263801728835



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 गौरव लाल खन्ना

2 Manish Sahy

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

7707 7004 1

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन सत्य प्रतीत
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/हस्ताक्षर किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध



1-AUG 2022

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्रीमती अनुपमा पाण्डेय उम्र 27
पिता : श्री उमाशंकर पाण्डेय
निवासी- हाऊस नंबर 36, बिलासागुड़ी पुलिसलाईन
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 593770494706



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. बनगराम चन्द्रवंशी

2. डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपेक्षपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two
& Notarial Stamp of Rupees 10
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन का



1 AUG 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. वर्षा सिंह उम्र 27
पिता : श्री हिरेन्द्र कुमार
निवासी-एम.क्यू. 13, वार्ड नं. 13 दीपका
जिला- कोरबा (छ.ग.)
पिन - 495452
आधार नंबर : 983270833869



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 लोशन अशाके यादव

2 Manish Kumar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


▲ 1 AUG 2022



SOLEMNLY ATTORNEED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दे. अनक ड. कविने पर सक्षीयत. करिने ने
पढ़कर/पढ़यां. मपधपूर्वक. पढ़. करिने ने
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/पढ़. करिने ने
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Notary



अध्यः

(Contract for Teaching)

2 AUG 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. अंजली सोना उम्र 28
पिता : श्री गुरुबारू सोना
निवासी- तहसीलदार गली, हेमूनगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495004
आधार नंबर : 428857985712




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 सगराम चन्द्रवंशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 डा. मनीष त्रिवेदी

- 2 AUG 2022

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
PERSON / THUMB IMPRESSION
दो समक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


[Signature]
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CE On Rupee - five affixed
& Not affixed - 10 Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur

प्रथम पक्षकार

अध्या



1 AUG 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. नीलम सिंह सिंघेल उम्र 27
पिता : श्री चंदन सिंह सिंघेल
निवासी- अशोक नगर, सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 653335848783



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. नीलम सिंह सिंघेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. सगराम-चन्द्रवंशी

2. डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
TO BE TRUE BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
ने संकेत के हस्ताक्षर पर संश्लित व्यक्ति ने
पक्षकार पढ़वाकर समझकर, समझ आकर कल
का यह दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



On Rupees Twelve affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / not affixed



AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर उम्र 27
पिता : श्री सी.एस. ठाकुर
निवासी- महर्षि स्कूल रोड, मंगला
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 475321275009



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्य से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. श. राम चन्द्रवशी

2. श. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के समक्ष इस दस्तावेज पर तद्विहित हस्ताक्षर
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक किये जाते हैं
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अङ्कित किये जाते हैं।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

affixed

CF No. Dupes- Non/Plus affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्याप



7 AUG 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 36
पिता : श्री कृष्ण कुमार शर्मा
निवासी- मकान नंबर 333, नहरपारा, भदौरा वार्ड नं.18
जयरामनगर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495550
आधार नंबर : 4548083213051



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1

गो रज चरित सुतेव


2

शुभु मन्निश सुतेव

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर



द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



1 AUG 2022

SOLLEMNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTIES NAMED
SIGNED AND DELIVERED IN MY PRESENCE
मैंने इस दस्तावेज़ को निम्नलिखित नामों के
पक्षकारों के समक्ष पढ़ाया और वे इस दस्तावेज़ को
और इस दस्तावेज़ के साथ हस्ताक्षर किए।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-



1. AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur J.C.C.

(Contract for Teaching)


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री दीपक कुमार कश्यप उम्र 26
पिता : श्री मनीराम कश्यप
निवासी- 351, ग्राम- धिवरा,
जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन - 495661
आधार नंबर : 919930534708



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दीपक कुमार कश्यप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 सागराग-पन्डरी शर्मा

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 डा. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Deepak

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
दो समक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वा-कर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगूठा किया।

1 AUG 2022.

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



OF On Rupees Ten/10/- affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



1 AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- श्री मोतीलाल पाटले उम्र 37

पिता : श्री किशुन राम पाटले

निवासी- 53, वार्ड नं. 3, मोहनपुर पो.फुलवारी

जिला- मुंगेली (छ.ग.)

पिन - 495115

आधार नंबर : 460943555123

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 सागराजी चन्द्रवंशी

2 डा. मनमोहन शिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समय इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर, पढ़कर... (अपनी) कानून आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee Two/Five affixed
& Noting Stamp of Rupees 10/-



1 AUG 2022

अनुबंध (Contract for Teaching)
Central Office
Bilaspur IC

प्रथम पक्षकार प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - श्री अजीत कस्तुरिया उम्र 28
पिता : श्री रामझूल कस्तुरिया
निवासी- कस्तुरबा नगर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 409249619894

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री अजीत कस्तुरिया को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. शंकराम - चंडवडी

2. डा. मंगेश निवरी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Certified Notary
(C.G.)



CF On Rupee Two/Five affixed
Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्या

(Contract for Teaching)



2 AUG 2022




प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री गेंदलाल बंजारे उम्र 30
पिता : श्री खिलावन बंजारे
निवासी- वार्ड नं. 05, पुटपुरा बेमेतरा
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)
पिन - 491340
आधार नंबर : 964951794063

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 सगनाम - पन्डवंशी

2 डा. मनीष तिवारी

2 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
देरे समक्ष एवं स्वादेन या संबधित यन्त्रि ने
पढ़कर/पढकर हस्त-पुन-समक्ष करके कला
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रा दिया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee- Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

आ : (Contract for Teaching)

1. AUG 2022



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री सर्वेश दीप उम्र 26
पिता : श्री भगवान दीन
निवासी- हसबेड़ा चौक, आजाद चौक, छुरीकला
जिला- कोरबा (छ.ग.)
पिन - 495450
आधार नंबर : 737532490467



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सर्वेश दीप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापक



1 AUG 2022

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - कु. शिखा पाण्डेय उम्र 26
पिता : श्री रविशंकर पाण्डेय
निवासी- संत कबीरदास महिमा नगर सिरगिट्टी
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495004
आधार नंबर : 850098531837



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. शिखा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. तोरण चतुर्धर शर्मा

2. Manish Sahu

1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

नेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबन्धित व्यक्ति ने
पढ़कर समझकर, पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज कला
उपर्युक्त इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



On Rupees Two/Two affixed
& Notarial Stamp
affixed : 10/- Rupees 10/-



अध्य

CANCELLED

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

2 AUG 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री दिव्यांशु स्वर्णकार उम्र 24
पिता : श्री धनेन्द्र कुमार स्वर्णकार
निवासी- 101, वार्ड नं. 10 सोनार गली अकलतरा
जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन - 495552
आधार नंबर : 941641096363



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दिव्यांशु स्वर्णकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. सागराम - पञ्चवंशी

2. डा. ममेश तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

- 2 AUG 2022



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

ने, समक्ष इत. दस्तावेज पर संश्लित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंकुश किया।

Arun Kumar Bhatt
Central Notary
Bilaspur (Ct.)

CF On Rupee = 10/Flv6 affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



(Contract for Teaching)

1 AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— श्री प्रकाश चर्तुवेदी उम्र 25

पिता : श्री घनश्याम बिहारी चर्तुवेदी

निवासी— विष्णु चौक, यादव मोहल्ला तिफरा

जिला— बिलासपुर (छ.ग.)

पिन – 495001

आधार नंबर : 932566213506



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री प्रकाश चर्तुवेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के फायों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 बाग राम - पन्डरी

2 डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

द्वे: समक्ष इत: दस्तावेज पर संबधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)


Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

ARUN KUMAR
SINGH
BILASPUR (C.G.)
Reg. No. 222
DL 95107/2
TOP



CF On Rupee Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अष्ट



1 AUG 2022

(Contract for Teaching)

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

- कु. कांची बाजपेयी उम्र 22

पिता : श्री विकास कुमार बाजपेयी

निवासी- वार्ड नंबर 17, निरंकारी भवन इमलीपारा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 712169354380



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. कांची बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1


गौरव कुमार


2


Manish Sahu

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर




द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मैंने इनमें इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आदि कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया :


Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



22 AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
प्रथम पक्षकार (C.G.)

(Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री जयसन सांकुट्टी उम्र 32

पिता : श्री के.जी. सांकुट्टी

निवासी- एम.आई.जी. सी-26 नेहरू नगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 557829047169



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री जयसन सांकुट्टी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 सागराम पट्टपंशी

2 डा. मनीष त्रिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

22 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर श्रावणपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF Contract for Teaching Affixed
2. Not affixed Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्याप



1 AUG 2022


(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्रीमती ज्योति तिवारी उम्र 38
पिता : हेमूप्रसाद दुबे
रामश्याम कुंज गोड़पारा गोलबाजार
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती ज्योति तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 लोरण प्रसाद यादव

2 Manish Sahu.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 AUG 2022
SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
इस दस्तावेज पर संस्थित व्यक्ति ने
आज के दिनांक 01 अगस्त 2022 को
आपके सामने मेरे हस्ताक्षर/मुद्रा किया।
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.B.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अष्ट



Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

-

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

-

श्री भागवत कौशिक उम्र 30

पिता : श्री जसकरन कौशिक

निवासी- चौधरी गली, इमलीभाटा बंधवापारा सरकण्डा


जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 610614227788

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 मगराम - 4-89-3/1

2 डा. मनीष त्रिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़या/अपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Contract Notary
(B.A., LL.B.)

10 Rupees Twelve affixed
Notarial Stamp in Rupees 10/-

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन का

(Contract for Teaching)



17 AUG 2022



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - कु. सपना मिश्रा उम्र 27
पिता : श्री केशरी कुमार मिश्रा
साहू मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा
जिला- कोरबा (छ.ग.)
पिन - 495450
आधार नंबर : 881650170512

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. सगराम चन्द्रवंशी

2. डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

के समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज यहां
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee Stamp affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arūf Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन

(Contract for Teaching)



1 AUG 2022



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - कु. वर्षारानी दुबे उम्र 27
पिता : श्री बालमुकुन्द दुबे
निवासी-वार्ड नंबर 2, खरौद जांजगीर
जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पिन - 495556

आधार नंबर : 554978884979

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. वर्षारानी दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 सागराम - यज्ञवंशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 डा. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 AUG 2022


SOLEMNLY AFFIRMED FOR SWORN
BEFORE ME BY THE PARTIES NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
श्री. कृष्ण इ. दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर व समझकर अपना-अपना हस्ताक्षर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगूट किया।

[Signature]
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.S.)

On Rupee Two/Five affixed
Not affixed Stamp of Rupee 10/-
Not affixed

अध्या
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)



1 AUG 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्रीमती आभा बाजपेयी उम्र 42
पति : श्री ज्योति कुमार बाजपेयी
निवासी- कतियापारा, जूना बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 260419933982



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती आभा बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1. मंगराम चन्द्रपंडी

2. डॉ. मनीष तिवारी
1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मे, तमक का गवाहतावेन पर संबोधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगूज किया।

[Signature]
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.S.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



3 AUG 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)
प्रथम पक्षकार

(Contract for Teaching)

- प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री दीपांक गंधे उम्र 24
पिता : श्री दीपक गंधे
निवासी- न्यू कन्स्ट्रक्शन कॉलोनी
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495004
आधार नंबर : 536461245613



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दीपांक गंधे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 03.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 सगराज चन्द्रवंशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 डा. मनोब तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

13 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दोरे समक्ष में उपरोक्त पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर स्वेच्छपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

IF On Rup... five affixed
Notarial Seal... Rates 10/-
Not affixed



Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

23 AUG 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्रीमती जीवन प्रवा मोहन्ती उम्र 29
पिता : श्री गगन कुमार मोहन्ती
निवासी- दिव्या परिसर लिंगियाडीह
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495006
आधार नंबर : 612328210257



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती जीवन प्रवा मोहन्ती को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. गंगा राग - पटवन्शी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2. डॉ. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Tejhan Prava Mohanty



23 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED THEIR IMPRESSION

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CFO affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Notary
Bilaspur (C.G.)

अध्यापन



(Contract for Teaching)

23 AUG 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री टीकम सिंह राजपूत उम्र 24
पिता : जागेश्वर सिंह राजपूत
सी.एम.डी. चौक विद्या नगर
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री टीकम सिंह राजपूत को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. मगराम - 4-इ-इ-इ

2. डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

23 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notated Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



Arun Kumar Singh
Contract Holder
Bilaspur (C.G.)

तु अनुबंध पत्र

24 AUG 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री देव कुमार उम्र 26
पिता : श्री सुन्दरलाल घृतलहरे
निवासी- निराला नगर, हेवन्स पार्क हॉटल के सामने
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 769064765461



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री देव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 रागराम चन्द्रगौरी

2 डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

24 AUG 2022



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष एवं तबवेज पर संरक्षित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वा कर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF C-10000 Five affixed
Rupees 10/-

Arjun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



2 SEP 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. निधि दानीकर उम्र 24
पिता : विजय दानीकर
वार्ड नंबर-3 महामाया पारा
रतनपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495442



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. निधि दानीकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अरांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. श्रीमती पल्लवी यादव
2. श्रीमान् Manish Sahu

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 SEP 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
नेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक रूप से पढ़ा व पढ़ा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/हस्ताक्षर किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



05 SEP 2022

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. रोशनी सोनी उम्र 25
पिता : मुरलीधर सोनी
पुराना पावर हाऊस, देवरीखुर्द
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
: पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. रोशनी सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 सगराम - पन्द्रवशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2 शं. मनीष त्रिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLENNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

15 SEP 2022

मेरे सनस इस दस्तावेज पर संबधित व्यन्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



17 SEP 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर उम्र 26
पिता : श्री संतोष चन्द्राकर
निवासी- नूतन चौक, सरकण्डा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 409148669903



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. शगराम चन्दवशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2. डा. मनीष तिवरी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

1 SEP 2022



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष [] आवेदन पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर/पढ़कर कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/जंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee Tax/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

2 SEP 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. सुनंदा सोनी उम्र 29
पिता : दिनेश सोनी
ग्राम-बलौदा,
बलौदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन - 495559



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. सुनंदा सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. सागराज चन्द्रवंशी

2. डा. मनोज तिवरी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Suneymdg



SEP 2 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
के समक्ष डा. मनोज तिवरी पर संकेचित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाते संकेचित पत्र पढ़कर अपना नाम
और हस्त उस्ताखर पर हस्ताक्षर/उंगुली किया।

Arun Kumar Singh
Central Society
Bilaspur (Jharkhand)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



अनुबंध पत्र

4 SEP 2022

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)
प्रथम पक्षकार

(Contract for Teaching)

- प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार

- कु. शुभानी सिंह ठाकुर उम्र 26
पिता : श्री विजय सिंह ठाकुर
निवासी- सिटी कोतवाली के पीछे, रोड नंबर 2 तेलीपारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 513625687365



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. शुभानी सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार को यह अनुबंध पत्र निम्नानुसृत तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार को द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अस्तित्व होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से अस्तित्व है तो उसी भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.09.2022 को सो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलारापुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-
1. श. श. श. श. श. श.
2. डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]
द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर
[Signature]




14 SEP 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / IMPRESION
मेरे समक्ष [] पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वा [] जपस्थगुरीक कथन आज कदा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

अध्यापक



Arun Kumar Singh
Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

22 SEP 2022


प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री अभिलाष अवस्थी उम्र 29
पिता : श्री अनिल कुमार अवस्थी
निवासी- कटकवार गली, टिकरापारा
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 414450528830



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री अभिलाष अवस्थी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रबंधन विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 गौरव चतुर्वेदी

2 Manish Singh

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

22 SEP 2022


SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़ाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar शर्मा
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



(Contract for Teaching)

12 OCT 2022

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - कु. प्रशंसा यादव उम्र 23
पिता : श्री अशोक कुमार यादव
निवासी- तिलक नगर, वासुदेव क्लिनिक के पास
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001
आधार नंबर : 610103142937

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. प्रशंसा यादव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

STR

ARUN KUMAR
SINGH
BILASPUR
REG. NO.
C.G. NO.



VDIA

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.10.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 शुभराम पन्डेवडी

2 डा. मनीष तिवारी

12 OCT 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / WITHIN IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़कर के समक्ष/पूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur

CF On Rupee Stamp affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed



5 NOV 2022

Arun Kumar Singh (Contract for Teaching)

Central Notary
Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार - श्री बद्री प्रसाद साहू, उम्र 27
पिता : श्री बी.आर. साहू
बिजली विभाग के पास, अशोक नगर सरकण्डा
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री बद्री प्रसाद साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 सागराम चन्द्रगौरी

2 डा. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

5 NOV 2022



5 NOV 2022

SOLENNY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

देते समय इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कल
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupee= Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed


Arjun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CANCELLED
CANCELED
TEN RUPEES

7 NOV 2022

अध्या (Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्री सुशील कुमार पटेल उम्र 24
पिता : श्री घसियाराम पटेल
शिवम् विहार, सरकण्डा
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सुशील कुमार पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. सगवाम - पंडवरा

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2. श्री. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

7 NOV 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे तमाम दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वा कर शपथपूर्वक सत्यता का
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/मुद्रा लगाया

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



Of On Rupee Ten Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10/-
affixed / Not affixed
Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)



अध्या

(Contract for Teaching)

9 NOV 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कृ. दीक्षा देवांगन उम्र 26
पिता : श्री नारायण प्रसाद देवांगन
मधुबन रोड, शिखा वाटिका दयालबंद
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कृ. दीक्षा देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. मंगराम - चन्द्रवंशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2. डा. मनीष त्रिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

9 NOV 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

हैरे हकत हा ततवेत पर तवेतित ववित ने
एतत/पढ़कर व समझकर अपना-अपना हस्ताक्षर
आर इस वेस्तावेत पर हस्ताक्षर/अमूतः किये।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.O.)

CF On Rupees Two/Five affixed
& Notarial Stamp of Rupees 10
if affixed / Not affixed



Arjun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

6 NOV 2022

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - कु. दीपाली कुशवाहा उम्र 26
पिता : श्री नरेन्द्र कुशवाहा
आर्यसमाज मंदिर के पास गोड़पारा
बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. दीपाली कुशवाहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. मंगाराम - पन्द्रवन्दी

2. डॉ. मनीष तिवारी

6 NOV 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संवीक्षित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh
Central Notary
Bilaspur (C.G.)